

2024/15

राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

2024/15

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेक्स फार्म नंबर 8 के  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
✓ 177	9/2024	23/1/2024		31/1/2024 12.2.2024 7.5.24
D.N.T 09/5/24				

अनवान

श्री अ.स. शर्मा

श्री माधु भील

निवासी .....

निवासी .....

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेषपोडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री प.स.

श्री .....

# FORM NO. III

## फर्द अहकम

नियम 26

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

बिजौलियां





राजतरवान राखकार

बनाम

गाद्यु 5/0 धींगा

किस्म मुकदमा 177

नम्बर 9 सन 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
23/1 /2024	<p>वादपत्र पत्र सीमे से बाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 31/1/2024 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">                       उपखण्ड अधिकारी                      बिजौलियां                 </p>	
31/1/24	<p>पत्रावली पेश करी पॅरोकार सरकार उपस्थित। विपक्षी की बाद तामील प्राप्त हुई, जिले शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षी अनुपस्थित रहा, विपक्षी को उबार भावाज लगाव परन्तु कोई पेश नहीं हुआ। पत्रावली में एक - पक्षीय कार्यवाही के माफ़ेस धारित किए गए। पत्रावली वास्ते उक्ति माफ़ेस भागानी दिग्गु 12/2/24 को पेश की।</p> <p style="text-align: right;">  </p>	
14/2/24	<p>पत्रावली पेश करी पॅरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली वास्ते खस/निधि भागानी दिग्गु 26/2/24 को पेश की।</p> <p style="text-align: right;">  </p>	
26/2/24	<p>पत्रावली पेश करी पॅरोकार वादी उपस्थित। विपक्षी की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनांक 26/2/24 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">                       उपखण्ड अधिकारी                 </p>	

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)**

पीठासीन अधिकारी – श्री अजीत सिंह राठौड़ (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी  
वादपत्र संख्या 09 / 2024 दायर तारीख 23.01.2024

**अनवान्**

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.....वादी

**बनाम्**

1. माधु पुत्र धन्ना हिस्सा पूर्ण जाति भील निवासी सतकुण्डिया, तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा।

.....प्रतिवादी

उपस्थित :- पैरोकार तहसीलदार।

**कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955**

**:- निर्णय :-**

दिनांक :- / / 2024

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वादपत्र अर्न्तगत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध प्रतिवादी इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सतकुण्डिया, पटवार मण्डल रेसून्दा, तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा की आराजी नं0 399 रकबा 0.5261 है0 किस्म बंजड भूमि प्रतिवादी के नाम राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। उक्त वर्णित आराजी नं0 399 रकबा 0.5261 है0 भूमि में खातेदार का मौके पर काश्त नहीं हैं। उक्त वर्णित आराजी पर प्रतिवादी को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादी द्वारा भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया गया। प्रतिवादी ने खातेदारी अधिकार की शर्तों की पालना नहीं कर आराजी नं0 399 रकबा 0.5261 है0 भूमि पर मौके पर खनन/मलबा रलाव डाल रखा हैं। प्रतिवादी द्वारा उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकार की शर्तों की पालना नहीं कर अवहेलना करने से भूमि से बेदखली योग्य हैं। अतः प्रतिवादी की उक्त वर्णित आराजीयात को खारीज करा बिलानाम सरकार दर्ज कराना फरमावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस बाद तामील प्राप्त हुये। जो शामिल पत्रावली हैं। बार-बार आवाज लगायी गयी। न तो प्रतिवादी और न ही प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुआ।

प्रतिवादी वावजूद इतिल्ला के गैर हाजिर रहने से प्रतिवादी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

लगातार पेज संख्या 02 पर

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में नये खाता संख्या 96 ग्राम सतकुण्डिया, पटवार मण्डल रेसून्दा की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 की प्रति, मौका पर्चा दिनांक 18.01.2024 की प्रति, नक्शा, गुगल फोटो, कलर फोटोग्राफ -2 की प्रतियां प्रस्तुत की हैं।

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर ग्राम सतकुण्डिया, पटवार मण्डल रेसून्दा, तहसील बिजौलियां स्थित आराजी नं0 399 रकबा 0.5261 है0 भूमि पर मौके पर खनन/मलबा रलाव डाल रखा हैं एवं प्रतिवादी द्वारा उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में खातेदारी अधिकार की शर्तों की पालना नहीं कर अवहेलना करने से भूमि से बेदखली शोग्य हैं।

प्रकरण में वादी ने अन्य किसी प्रकार की शहादत वादी प्रस्तुत नहीं करने से साक्ष्यवादी बन्द की गयी।

मैंने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया एवं पैराकार सरकार की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार करना उचित व न्याय संगत प्रतीत होता हैं। वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

-: आदेश :-

प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम सतकुण्डिया, पटवार मण्डल रेसून्दा, तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित आराजी नं0 399 रकबा 0.5261 है0 किस्म बंजड भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 09/05/2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



3  
(अजीत सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां  
जिला-भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास श्री (अजीत सिंह राठौड़ (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 09/2024

दायर तारीख 23.01.2024

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.....डिक्रीदार

बनाम्

1. माधु पुत्र धन्ना हिस्सा पूर्ण जाति भील निवासी सतकुण्डिया, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।

.....मदयून

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक : 09/05/2024

डिक्री दिनांक : 09/05/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी मिनजानिब मुदई पैरोकार तहसीलदार एक पक्षीय मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया है डिक्री जारी की जाती है कि :-

वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम सतकुण्डिया, पटवार मण्डल रेसून्दा, तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित आराजी नं0 399 रकबा 0.5261 है0 किस्म बंजड भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना-अपना वहन करे। डिक्री मूर्तिब हों।

बसवत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09/05/2024 को जारी की गई।



(अजीत सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां जिला भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

पेज संख्या 2

नीज ..... Nil ..... मुबलिंग ..... Nil ..... बाबत् ..  
 Nil ..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर ..... Nil ..... फीस दी  
 सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... Nil ..... का अदा  
 करे।

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया स्टाम्प वकीलात नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील ( ) खर्चा गवाह फीस कमीशनर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुनफरिक			स्टाम्प अरजीदया स्टाम्प वकीलात नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील ( ) खर्चा गवाह फीस कमीशनर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुनफरिक		
मीजान			मीजान		



(अजीत सिंह राठौड़)  
 उप-अधीक्षक  
 बिलासपुर जिला - भीलवाड़ा